

#### असाधारण

#### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

#### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 321] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 3, 2016/वैशाख 13, 1938 No. 321] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 3, 2016/ VAISAKHA 13, 1938

> भारतीय रिज़र्व बैंक (विदेशी मुद्रा विभाग) (केंद्रीय कार्यालय) अधिसूचना मुम्बई, 2 मई, 2016

# सं. फेमा.14(आर)/2016-आरबी

## विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) विनियमावली, 2016

सा.का.िन. 480(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और समय-समय पर यथा संशोधित, प्राप्ति और भुगतान के तरीके से संबंधित 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 14/2000-आरबी, भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति से प्राप्ति एवं उसको भुगतान करने से संबंधित 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 16/2000-आरबी तथा नेपाल और भूटान के निवासियों के साथ भारतीय रुपए में लेनदेन से संबंधित 3 मई 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 17/2000-आरबी को अधिक्रमित करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक प्राप्ति और भुगतान के तरीके के संबंध में निम्नलिखित विनियमावली निर्मित करता है, अर्थात्:-

#### 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

- (i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (प्राप्ति और भुगतान का तरीका) विनियमावली, 2016 कहलाएगी।
- (ii) यह सरकारी राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

## 2. परिभाषाएँ :-

इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(i) 'अधिनियम' से विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) अभिप्रेत है;

2191 GI/2016 (1)

- (ii) 'प्राधिकृत व्यापारी' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकृत व्यापारी के रूप में प्राधिकृत किया गया हो;
- (iii) 'प्राधिकृत बैंक' से वह बैंक अभिप्रेत है जो प्राधिकृत व्यापारी से भिन्न है, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा भारत से बाहर के निवासी व्यक्तियों से जमाराशियां स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो;
- (iv) 'एफसीएनआर (विदेशी मुद्रा अनिवासी खाता) / एनआरई (अनिवासी विदेशी) खाता' से अभिप्रेत है एफसीएनआर या / एनआरई खाता जो विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमाराशियां) विनियमावली, 2016 के अनुसार खोला और रखा गया हो।

इन विनियमों (Regulations) में प्रयुक्त शब्द एवं अभिव्यक्ति जिन्हें इनमें परिभाषित नहीं किया गया है उनके वहीं अर्थ होंगे जो उक्त अधिनियम में दिए गए हैं।

#### 3. विदेशी मुद्रा प्राप्ति का तरीका

(1) प्राधिकृत व्यापारी द्वारा विदेश से विप्रेषण के माध्यम से अथवा भारत से निर्यात के लिए भुगतान हेतु भारत से बाहर की उसकी शाखा अथवा तदनुरूपी बैंक से प्रतिपूर्ति के माध्यम से अथवा किसी अन्य भुगतान के लिए निम्नवत प्राप्त किया जाएगा:

## ए. एशियन क्लियरिंग यूनियन के सदस्य

#### (i) बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका और रिपब्लिक ऑफ मालदीव

- (ए) पात्र माल और सेवाओं के निर्यात मूल्य की प्राप्ति उस सदस्य देश, जिसमें लेनदेन की दूसरी पार्टी निवासी हो, के भारत स्थित बैंक के 'एशियन क्लियरिंग यूनियन डॉलर खाते' और/अथवा 'एशियन क्लियरिंग यूनियन यूरो खाते' को नामे करके अथवा उस सदस्य देश में प्रधिकृत व्यापारी के प्रतिनिधि बैंक के पास रखे उसके 'एशियन क्लियरिंग यूनियन डॉलर खाते' और / अथवा 'एशियन क्लियरिंग यूनियन यूरो खाते' में जमा करके की जाएगी;
- (बी) सभी अन्य मामलों में प्राप्ति किसी मुक्त रूप में परिवर्तनीय मुद्रा में भी की जा सकती है; (सी) भारत से म्यांमार को निर्यात के संबंध में भुगतान किसी मुक्त रूप में परिवर्तनीय मुद्रा
- में अथवा म्यांमार से 'एशियन क्लियरिंग यूनियन' प्रणाली से प्राप्त किया जा सकता है।

# (ii) नेपाल और भूटान

- (ए) रुपये में प्राप्ति की जा सकती है;
- (बी) नेपाल को किए गए माल के निर्यात के लिए प्राप्ति किसी मुक्त (रूप में परिवर्तनीय) विदेशी मुद्रा में की जा सकती है बशर्ते नेपाल में निवासी आयातक को नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा भुगतान मुक्त (रूप में परिवर्तनीय) विदेशी मुद्रा में करने के लिए अनुमित दी गई हो। हालांकि, ऐसी प्राप्तियाँ एशियन क्लियरिंग यूनियन प्रणाली से नहीं की जाएंगी।

# (iii) इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान

(ए) पात्र माल और सेवाओं के निर्यात के लिए प्राप्ति किसी मुक्त रूप में परिवर्तनीय मुद्रा में और/अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, प्राधिकृत व्यापारियों को जारी निदेशों के अनुसार होगी। (बी) सभी अन्य मामलों में प्राप्ति किसी मुक्त रूप में परिवर्तनीय मुद्रा में और / अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, प्राधिकृत व्यापारियों को जारी निदेशों के अनुसार होगी।

#### बी. ऊपर मद "ए" में वर्णित से भिन्न सभी अन्य देश

- (i) एशियन क्लियरिंग यूनियन के सदस्य देश से भिन्न किसी अन्य देश में स्थित बैंक खाते से रुपये में प्राप्ति।
- (ii) किसी मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में प्राप्ति।
- (2) (ए) भारत से निर्यात के मामले में, निर्यात फार्म में की गई घोषणा के अनुसार माल के अंतिम गंतव्य के अनुसार उचित मुद्रा में प्राप्ति की जाएगी भले ही क्रेता के निवास का देश कोई भी क्यों न हो।
  (बी) भारत से किए गए निर्यात के संबंध में, रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर प्राधिकृत व्यापारियों को जारी निदेशों के अनुसार विनिर्दिष्ट किसी अन्य तरीके से निर्यात की आगम राशि प्राप्त की जा सकेगी।
- (3) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों को यह अनुमित दी गई है कि वे माल / सॉफ्टवेयर निर्यात के भुगतान की प्राप्ति किसी तीसरे पक्ष (क्रेता से भिन्न पार्टी) से प्राप्त करने की अनुमित रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार प्रदान कर सकते हैं।

#### 4. कतिपय मामलों में निर्यात के लिए प्राप्ति का तरीका :-

- (1) विनियम 3 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निर्यातक द्वारा निर्यात के लिए प्राप्ति निम्नलिखित रूप में भी की जा सकती है, अर्थात्:
- (i) भारत में भ्रमण के दौरान ट्रैवलर क्रेता से बैंक ड्राफ्ट, चेक, भुगतान आदेश, विदेशी करेंसी नोट/ट्रैवलर चेक के रूप में प्राप्त की जा सकती है बशर्ते उपर्युक्त रूप में प्राप्त विदेशी करेंसी उस प्रधिकृत व्यापारी को विनिर्दिष्ट अवधि मे सौंप दी जाए जिसका निर्यातक एक ग्राहक है;
- (ii) भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी या प्राधिकृत बैंक के पास क्रेता द्वारा रखे एफसीएनआर/एनआरई खाता को नामे करके;
- (iii) जहाँ भारत में भुगतान क्रेता द्वारा क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जाता है वहां क्रेता द्वारा हस्ताक्षरित चार्ज स्लिप पर क्रेडिट कार्ड सर्विसिंग बैंक से रुपये में:
- (iv) एक्स्चेंज हाउस के नाम में किसी प्राधिकृत व्यापारी के पास रखे रुपया खाते से यदि राशि प्रति निर्यात संव्यवहार (transaction) हेतु पंद्रह लाख रुपए से अधिक न हो अथवा इस संबंध में भारत सरकार के परामर्श से, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य राशि;
- (v) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत व्यापारी/यों के लिए जारी निदेशों के अनुसार, जहाँ निर्यात भारत सरकार और विदेशी सरकार के बीच या किसी विदेशी सरकार की वित्तीय संस्था के साथ भारतीय निर्यात-आयात बैंक (EXIM Bank) द्वारा की गई ऋण (Credit) व्यवस्था के जिर्ये होता है।
- (vi) विशेष आर्थिक क्षेत्रों और निर्यातोन्मुख इकाइयों में स्थित रत्न और जवाहरात के निर्यातक द्वारा किए गए निर्यात के समतुल्य कीमती धातुओं अर्थात स्वर्ण / चाँदी / प्लैटिनम के रूप में बशर्ते बिक्री संविदा में तत्संबंधी प्रावधान हो और निर्यात मूल्य संबन्धित EDF में घोषित किया गया हो।
- (2) उपर्युक्त मद सं. 4.(1) (i) एवं (iii) के अतिरिक्त निर्यात से भिन्न प्रयोजनार्थ भारत में निवासी कोई व्यक्ति भारत से बाहर के डाकघर द्वारा जारी पोस्टल आर्डर अथवा ऐसे डाकघर के जरिए पोस्टल मनी आर्डर से भुगतान प्राप्त कर सकता है।

## 5. विदेशी मुद्रा में भुगतान का तरीका

(1) प्राधिकृत व्यापारी द्वारा भारत से विप्रेषण अथवा भारत में आयात के लिए भुगतान भारत से बाहर की अपनी शाखा अथवा तदनुरूपी बैंक को प्रतिपूर्ति के माध्यम से अथवा किसी अन्य भुगतान के लिए निम्नवत किया जाएगा:

## (ए). एशियन क्लियरिंग यूनियन के सदस्य

#### (i) बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका और रिपब्लिक ऑफ मालदीव –

- (ए) पात्र माल और सेवाओं के आयात के लिए सदस्य देश, जिसमें लेनदेन की दूसरी पार्टी निवासी हो, के भारत स्थित बैंक के 'एशियन क्लियरिंग यूनियन डॉलर खाते' और / अथवा 'एशियन क्लियरिंग यूनियन यूरो खाते' में जमा कर के अथवा उस सदस्य देश में प्राधिकृत व्यापारी के तदनुरूपी बैंक में रखे एशियन क्लियरिंग यूनियन डॉलर खाते और/अथवा 'एशियन क्लियरिंग यूनियन यूरो खाते' को नामे कर के भुगतान किया जाएगा;
- (बी) सभी अन्य मामलों में मुक्त रूप में परिवर्तनीय किसी मुद्रा में भी भुगतान किया जा सकता है;
- (सी) म्यांमार से भारत को आयात के संबंध में, किसी मुक्त रूप में परिवर्तनीय मुद्रा में अथवा म्यांमार से 'एशियन क्लियरिंग यूनियन' प्रणाली के तहत भुगतान किया जा सकता है।

## (ii) नेपाल और भूटान -

रुपये में भुगतान;

## (iii) इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान

- (ए) पात्र माल और सेवाओं के आयात के लिए भुगतान, किसी मुक्त रूप में परिवर्तनीय मुद्रा में और/ अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, प्राधिकृत व्यापारियों को जारी निदेशों के अनुसार होंगे।
- (बी) सभी अन्य मामलों में भुगतान, किसी मुक्त रूप में परिवर्तनीय मुद्रा में और / अथवा रिज़र्व बैंक द्वारा, समय-समय पर, प्राधिकृत व्यापारियों को जारी निदेशों के अनुसार होंगे।

## बी. उपर्युक्त मद ए) में दिये गए देशों से भिन्न सभी देश

- (i) एशियन क्लियरिंग यूनियन के सदस्य देश से भिन्न किसी अन्य देश में स्थित बैंक खाते से रुपये में भगतान।
- (ii) मुक्त रूप में परिवर्तनीय किसी भी मुद्रा में भुगतान।

# (2) भारत में आयात के संबंध में

- (ए) जहां माल एशियन क्लियरिंग यूनियन (नेपाल और भूटान से भिन्न) के किसी सदस्य देश से भेजा जाता है किन्तु आपूर्तिकर्ता एशियन क्लियरिंग यूनियन के सदस्य देशों से बाहर के किसी देश का निवासी है वहाँ विनियम 5 के ग्रुप 'बी' में उल्लिखित देशों के लिए लागू तरीके से भुगतान किया जाएगा;
- (बी) सभी अन्य मामलों में, माल का लदान करने वाले देश के लिए उचित विदेशी मुद्रा में भुगतान किया जाएगा;
- (सी) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राधिकृत व्यापारियों को, समय-समय पर, जारी निर्देशों के अनुसार किसी अन्य तरीके से भुगतान किया जा सकेगा।

(3) प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-। बैंकों को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार यह अनुमित दी गई है कि वे माल / सॉफ्टवेयर के आयात के लिए भुगतान किसी तीसरे पक्ष (आपूर्तिकर्ता से भिन्न पार्टी) को करने की अनुमित प्रदान कर सकते हैं।

## 6. कतिपय मामलों में भुगतान का तरीका

(1) विनियम 5 में किसी बात के होते हुए भी, भारत में निवासी कोई व्यक्ति माल के आयात के लिए निम्न प्रकार से भगतान कर सकता है:

आयातक द्वारा हस्ताक्षरित चार्ज स्लिप पर उसके अंतरराष्ट्रीय कार्ड से विदेशी मुद्रा में / भारत स्थित क्रेडिट / डेबिट कार्ड सर्विसिंग बैंक के अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट / डेबिट कार्ड से, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय समय पर किए गए विनिर्देशन के अनुसार, रुपये में भुगतान किया जा सकता है;

बशर्ते कि

- (ए) जिस लेनदेन के लिए भुगतान किया जाता है वह उक्त अधिनियम के उपबंधों, उसके अंतर्गत निर्मित नियमों और विनियमों के अनुरूप हो; और
- (बी) आयात प्रचलित विदेश व्यापार नीति के अनुरूप भी हो।
- (2) भारत में निवासी कोई व्यक्ति निम्न प्रकार से भी भुगतान कर सकता है:
  - (i) भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति जो भारत के भ्रमण पर आते हैं, उनके रहने, खाने और संबन्धित सेवाओं अथवा वहां से भारत आने एवं जाने तथा भारत में भ्रमण पर हुए व्यय की पूर्ति रुपये में की जा सकती है;
  - (ii) विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 अथवा किसी अन्य विधि अथवा नियम अथवा विनियम जो उस समय लागू हों, के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी आदेश में लगाई गई शर्तों के तहत ऐसा व्यक्ति स्वर्ण अथवा चाँदी के किसी भी रूप में आयात के लिए प्रतिफल राशि का भुगतान रेखित चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा कर सकता है:
  - (iii) भारत स्थित कोई कंपनी अथवा निवासी, अपने अनियत कालीन भारत से बाहर के निवासी निदेशक को कंपनी के कार्य से भारत दौरे पर आने के दौरान सिटिंग फीस अथवा कमीशन अथवा पारिश्रमिक, अथवा भारत आने और यहां से वापसी एवं भारत में यात्रा पर हुए व्यय का भुगतान कंपनी के अंतर्नियम और बहिर्नियम में विनिर्दिष्ट उपबंधों अथवा उसके साथ हुए करार अथवा कंपनी की सामान्य बैठक अथवा निदेशक बोर्ड की बैठक में पारित संकल्प के अनुसार रुपए में कर सकती है / सकता है, बशर्ते ऐसे भुगतान हेतु लागू किसी विधि, नियम, विनियम, निदेश की अपेक्षाओं का विधिवत अनुपालन होता हो।

[फा. सं. 1/31/ईएम/ 2015] ए. के. पाण्डेय, मुख्य महाप्रबंधक

# RESERVE BANK OF INDIA (FOREIGN EXCHANCE DEPARTMENT) (Central Office) NOTIFICATION Mumbai, the 2nd May, 2016

No. FEMA 14 (R)/2016-RB

#### Foreign Exchange Management (Manner of Receipt and Payment) Regulations, 2016

**G.S.R. 480(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), and in supersession of Notification No. FEMA.14/2000-RB, dated May 3, 2000, as amended from time to time, dealing with Manner of Receipt and Payment, Notification No. FEMA.16/2000-RB, dated May 3, 2000, as amended from time to time, dealing with Receipt from and Payment to a person Resident outside India and Notification No. FEMA. 17/2000-RB, dated May 3, 2000, as amended from time to time, dealing with Transactions in Indian Rupees with Residents of Nepal and Bhutan, the Reserve Bank of India makes the following Regulations in respect of Manner of Receipt and Payment, namely:—

#### 1. Short title and commencement:

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Manner of Receipt and Payment) Regulations, 2016.
- (ii) They shall come into effect from the date of their publication in the Official Gazette.

#### 2. Definitions:

In these Regulations, unless the context requires otherwise, -

- (i) 'Act' means the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999);
- (ii) 'Authorised Dealer' means a person authorized as an authorized dealer under subsection (1) of Section 10 of the Act
- (iii) 'Authorised Bank' means a bank, other than an authorized dealer, authorized by the Reserve Bank to accept deposits from persons resident outside India;
- (iv) 'FCNR / NRE account' means an FCNR or NRE account opened and maintained in accordance with the Foreign Exchange Management (Deposits) Regulations, 2016;

The words and expressions used but not defined in these Regulations shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act.

#### 3. Manner of Receipt in Foreign Exchange: -

- (1) Every receipt in foreign exchange by an authorized dealer, whether by way of remittance from a foreign country or by way of reimbursement from his branch or correspondent outside India against payment for export from India, or against any other payment, shall be as mentioned below:
- (A) Members of the Asian Clearing Union
  - (i) Bangladesh, Myanmar, Pakistan, Sri Lanka & Republic of Maldives -
    - a) Receipt for export of eligible goods and services by debit to the Asian Clearing Union Dollar account and / or Asian Clearing Union Euro account in India of a bank of the member country in which the other party to the transaction is resident or by credit to the Asian Clearing Union Dollar account and / or Asian Clearing Union Euro Account of the authorized dealer maintained with the correspondent bank in that member country;
    - b) Receipt may also be made in any freely convertible currency in all other cases.
    - c) In respect of exports from India to Myanmar, payment may be received in any freely convertible currency or through ACU mechanism from Myanmar.
  - (ii) Nepal and Bhutan
    - (a) Receipt may be in Rupees
    - (b) Receipts for export of goods to Nepal may be made in free foreign exchange, provided the importer resident in Nepal has been permitted by the Nepal Rashtra Bank to make payment in free foreign exchange. However such receipts shall not be routed through the ACU mechanism.
  - (iii) Islamic Republic of Iran
    - (a) Receipt for export of eligible goods and services, in any freely convertible currency and / or in accordance with the directions issued by the Reserve Bank to the authorized dealers from time to time.
    - (b) Receipt in any freely convertible currency and / or in accordance with the directions issued by the Reserve Bank to the authorized dealers from time to time in all other cases.

- (B) All countries other than those mentioned in A above
  - (i) Receipt in rupees from the account of a bank situated in any country other than a member country of the Asian Clearing Union.
  - (ii) Receipt in any freely convertible currency.
  - (2) (a) In respect of an export from India, receipt shall be made in a currency appropriate to the place of final destination as mentioned in the declaration form irrespective of the country of residence of the buyer.
    - (b) Any other mode of receipt of export proceeds for an export from India in accordance with the directions issued by the Reserve Bank of India to authorized dealers from time to time.
  - Authorised dealers have been permitted to allow receipts for export of goods/ software to be received from a Third party (a party other than the buyer) as per the guidelines issued by the Reserve Bank.

#### 4. Manner of Receipts in certain cases: -

- 1) Notwithstanding anything contained in Regulation 3, receipt for export may also be made by the exporter as under, namely:
  - (i) in the form of a bank draft, cheque, pay order, foreign currency notes/ travelers cheque from a buyer during his visit to India, provided the foreign currency so received is surrendered within the specified period to the authorized dealer of which the exporter is a customer;
  - (ii) by debit to FCNR/ NRE account maintained by the buyer with an Authorised Dealer or an Authorised Bank in India;
  - (iii) in rupees from the credit card servicing bank in India against the charge slip signed by the buyer where such payment is made by the buyer through a credit card;
  - (iv) from a rupee account held in the name of an Exchange House with an authorized dealer if the amount does not exceed fifteen lakh rupees per export transaction or an amount prescribed by RBI, in consultation with Government of India in this regard;
  - (v) In accordance with the directions issued by the Reserve Bank to Authorised Dealers, where the export is covered by the arrangement between the Central Government and the Government of a foreign country or by the credit arrangement entered into by the Exim Bank with a financial institution in a foreign state;
  - (vi) in the form of precious metals i.e. gold/ silver/ platinum equivalent to value of jewellery exported by Gem & Jewellery units in Special Economic Zones and Export Oriented Units on the condition that the sale contract provides for the same and the value is declared in the relevant EDF.
- (2) In addition to 4 (1) (i) & (iii) above, any person resident in India may also receive any payment for other than exports by means of postal order issued by a post office outside India or by a postal money order issued by such post office.

#### 5. Manner of payment in foreign exchange: -

- (1) A payment in foreign exchange by an Authorised Dealer, whether by way of remittance from India or by way of reimbursement to his branch or correspondent outside India against payment for import into India, or against any other payment, shall be as mentioned below:
- (A) Members of the Asian Clearing Union
- (i) Bangladesh, Myanmar, Pakistan, Sri Lanka & Republic of Maldives
  - (a) Payment for import of eligible goods and services by credit to Asian Clearing Dollar account and / or Asian Clearing Union Euro account in India of a bank of the member country in which the other party to the transaction is resident or by debit to the Asian Clearing Union Dollar account and / or Asian Clearing Union Euro account of the authorized dealer maintained with the correspondent bank in that member country;
  - (b) Payment may also be made in any freely convertible currency in all other cases.
  - (c) In respect of imports to India from Myanmar, payment may be made in any freely convertible currency or through ACU mechanism from Myanmar.
- (ii) Nepal and Bhutan -
  - Payment may be in Rupees
- (iii) Islamic Republic of Iran

- (a) Payment for import of eligible goods and services, in any freely convertible currency and / or in accordance with the directions issued by the Reserve Bank to the authorized dealers from time to time.
- (b) Payment in any freely convertible currency and / or in accordance with the directions issued by the Reserve Bank to the authorized dealers from time to time in all other cases.

#### (B) All countries other than those mentioned in A above—

- (i) Payment in rupees from the account of a bank situated in any country other than a member country of the Asian Clearing Union
- (ii) Payment in any freely convertible currency.

#### (2) In respect of import into India –

- (a) Where the goods are shipped from a member country of the Asian Clearing Union (other than Nepal and Bhutan) but the supplier is resident of a country other than a member country of the Asian Clearing Union, payment may be made in a manner specified for countries in Group B of Regulation 5;
- (b) In all other cases, payment shall be made in a currency appropriate to the country of shipment of goods;
- (c) Any other mode of payment in accordance with the directions issued by the Reserve Bank of India to authorized dealers from time to time.
- (3) Authorised Dealers have been permitted to allow payments for import of goods/ software to be made to a Third Party (a party other than the supplier) as per the guidelines issued by the Reserve Bank.

#### 6. Manner of Payment in certain cases :-

 Notwithstanding anything contained in Regulation 5, a person resident in India may make payment for import of goods.

In foreign exchange through an international card held by him/ in rupees from international credit card/ debit card through the credit/ debit card servicing bank in India against the charge slip signed by the importer/ as prescribed by Reserve Bank from time to time.

#### Provided that -

- (a) the transaction for which the payment is so made is in conformity with the provisions of the Act, rules and regulations made thereunder; and
- (b) the import is also in conformity with the provision of the Foreign Trade Policy in force.
- (2) Any person resident in India may also make payment as under:
  - in rupees towards meeting expenses on account of boarding, lodging and services related thereto or travel to and from and within India of a person resident outside India who is on a visit to India;
  - (ii) by means of a crossed cheque or a draft as consideration for purchase of gold or silver in any form imported by such person in accordance with the terms and conditions imposed under any order issued by the Central Government under the Foreign Trade (Development and Regulations) Act, 1992 or under any other law, rules or regulations for the time being in force;
  - (iii) a company or resident in India may make payment in rupees to its non whole time director who is resident outside India and is on a visit to India for the company's work and is entitled to payment of sitting fees or commission or remuneration, and travel expenses to and from and within India, in accordance with the provisions contained in the company's Memorandum of Association or Articles of Association or in any agreement entered into by it or in any resolution passed by the company in general meeting or by its Board of Directors, provided the requirement of any law, rules, regulations, directions applicable for making such payments are duly complied with.

[F. No. 1/21/ EM/2015] A. K. PANDEY, Chief General Manager